

**राजकीय महाविद्यालय शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अंकेक्षण अवधि 04/2006 से 03/2015

भाग—एक

1 प्रारम्भिक

हिमाचल प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या: EDN-A-CHHA(7)-8/2005(SHILLAI), Dated 5th September, 2015 द्वारा जिला सिरमौर के शिलाई नामक स्थान में महाविद्यालय की स्थापना की गई। सत्र 2006–2007 से महाविद्यालय में कक्षाएँ आरम्भ की गई। यह महाविद्यालय के निधि लेखों का प्रथम अंकेक्षण है।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों (4/2006 से 3/2015) का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री विरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 27.4.2015 से 29.5.2015 तक शिलाई में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए माह 6/2006, 6/2007, 6/2008, 6/2009, 6/2010, 6/2011, 6/2012, 6/2013 व 06/2014 तथा व्यय के लिए माह 11/2006, 12/2007, 10/2008, 11/2009, 10/2010, 10/2011, 3/2013, 10/2013 व 10/2014 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य / नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध/प्रस्तुत करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश किसी प्रकार की गलत सूचनाओं अथवा सूचना जो प्रदान नहीं करवाई गई है की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित हैं।

अंकेक्षण अवधि के दौरान महाविद्यालय में निम्न प्रधानाचार्यों ने आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया :—

क्र० सं०	प्रधानाचार्य का नाम	कार्य की अवधि
1.	श्री राजीव सिंह	5.7.2006 से 15.1.2007
2	श्री राजेश कुमार (कार्यवाहक)	16.1.2007 से 15.5.2007

3.	श्री राजीव सिंह	16.5.2007 से 7.3.2008
4.	कु० विपन गुप्ता	8.3.2008 से 21.7.2008
5.	श्री कृष्ण गोपाल	22.7.2008 से 6.6.2011
6.	श्री टी०आर० पराशर (कार्यवाहक)	7.6.2011 से 24.9.2012
7.	श्री ए०एन० शर्मा	25.9.2012 से 31.3.2015

3 अंकेक्षण शुल्क

महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण शुल्क वार्षिक प्राप्तियों (निधियाँ + संचायिका) के आधार पर ₹66,000/- बनता है, जिसकी गणना से सम्बन्धित विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	निधियों से सम्बन्धित प्राप्तियाँ	संचायिका से सम्बन्धित प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	अंकेक्षण शुल्क
2006—2007	78,114	2,297	80,411	5,000
2007—2008	1,25,327	6,043	1,31,370	5,000
2008—2009	1,97,409	12,359	2,09,768	8,000
2009—2010	2,24,012	19,136	2,43,148	8,000
2010—2011	4,18,660	27,729	4,46,389	8,000
2011—2012	5,34,412	28,840	5,63,252	8,000
2012—2013	5,11,295	30,005	5,41,300	8,000
2013—2014	7,04,116	31,217	7,35,333	8,000
2014—2015	6,73,149	32,478	7,05,627	8,000
			कुल योग	₹66,000/-

उपरोक्त वर्णित अंकेक्षण शुल्क ₹66,000/- को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/नियन्त्रण अधिकारी से अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 167, दिनांक 26.5.2015 द्वारा अनुरोध किया गया तथा जिसे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने बैंक ड्राफ्ट संख्या: 417131, दिनांक 2.6.2015 द्वारा शिमला भेज दिया है।

4 वित्तीय स्थिति

महाविद्यालय की विभिन्न निधियों की समेकित वर्षवार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है तथा निधि वार विवरण परिशिष्ट—“क” पर दिया गया है।

4.1 वित्तीय स्थिति के अवलोकन पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा कुछ निधियों में अत्यधिक राशियाँ बचत खाते में रखी गई हैं। यदि इन निधियों में आवश्यकता के अनुसार बचत खाते में राशियाँ रखकर शेष राशियाँ एक निश्चित अवधि के लिए सावधि जमा योजना में निवेशित की जाती तो सम्भवतः संस्था को ब्याज के रूप में अधिक आय प्राप्त हो सकती थी। अतः परामर्श दिया जाता है कि ऐसे मामलों में संस्था स्तर पर आवश्यक छानबीन करके अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए ताकि संस्था को अधिक ब्याज की प्राप्ति हो सके।

Year	Opening Balance	Total Receipts	Grand Total	Expenditure	Closing Balance	In Bank
2006-07	0	78,114	78,114	27,311	50,803	50,803
2007-08	50,803	1,25,083	1,75,886	54,984	1,20,902	1,20,902
2008-09	1,20,902	1,97,419	3,18,321	91,466	2,26,855	2,26,855
2009-10	2,26,855	2,24,012	4,50,867	1,45,649	3,05,218	3,05,218
2010-11	3,05,218	4,18,666	7,23,884	2,42,848	4,81,036	4,81,036
2011-12	4,81,036	5,34,412	10,15,448	2,20,157	7,95,291	7,95,291
2012-13	7,95,291	5,23,000	13,18,291	3,31,583	9,86,708	9,86,708
2013-14	9,86,708	7,04,116	16,90,824	4,38,259	12,52,565	12,52,565
2014-15	12,52,565	6,73,551	19,26,116	4,72,338	14,53,778	14,53,778

दिनांक 31.3.2015 को बैंक खातों में अन्तिम राशि का विवरण निम्न प्रकार था :-

Sr. No.	Name of Fund	Account No.	Amount
1.	HP Youth W	5852	7,329
2.	HPU Sports	5850	7,211
3.	HPU Reg	5846	6,668
4.	HPU Exam	5846	10,230
5.	AF	5838	1,59,128
6.	Cultural Activities	5839	84,633
7.	H. Exam	5840	33,024
8.	FF	6181	2,833
9.	R/Ranger	5839	1,56,500
10.	Furniture Repair	5845	32,212
11.	MF	5842	18,441
12.	Campus Development	5843	27,760
13.	Book Rep	5844	63,899

14.	Identity Card	5839	21,164
15.	Magazine	5897	1,10,836
16.	NCC	5839	11,916
17.	Student AID	5839	6,501
18.	Geog Pract	5839	77,074
19.	H. Home	5839	1,081
20.	L/Security	5849	1,67,909
21.	Red Cross	9724	2,307
22.	Geog Com Pract	9725	77,268
23.	College Sports	11745	3,52,884
24.	Comp Internet	5839	14,970
Total			14,53,778

5 अनाधिकृत रूप से निधि की वसूली करना

जाँच के दौरान पाया गया कि ₹10,733 की वसूली अनाधिकृत रूप से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से विषय समिति निधि (Subject Society Fund) के रूप में की गई है। नियमानुसार केवल उन्ही निधियों की वसूली विद्यार्थियों से की जा सकती है जिनकी अधिसूचना शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर की गई है। अतः अनाधिकृत रूप से विद्यार्थियों से इस निधि की वसूली करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा तुरन्त इस निधि की वसूली पर रोक लगाकर इस निधि के खाते में जमा राशि को मिश्रित निधि खाते में हस्तांतरित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट निधि के रूप में ₹24,980 की कम वसूली

जाँच के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विद्यार्थियों से ₹24,980 की वसूली कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट निधि के रूप में नहीं की गई है। नियमों के अनुसार प्रत्येक छात्र से ₹20 प्रतिवर्ष की दर पर यह वसूली वर्ष 2010 (सत्र 2010-11) से की जानी अपेक्षित थी परन्तु महाविद्यालय प्रशासन द्वारा वर्ष 2013 से इस निधि की वसूली की गई है। अतः वर्ष 2010 से 2012 तक उपरोक्त वर्णित निधि की वसूली न करने का कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब इस राशि की वसूली उचित माध्यम से सुनिश्चित करके खाते में जमा करवा कर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। कम वसूली का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र० सं०	वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या	दर	राशि की वसूली
1	2010	382	20	7,640
2	2011	504	20	10,080
3	2012	363	20	7,260
कुल योग				₹24,980

7 रोबर्स एवं रेन्जर्स निधि के रूप में प्राप्त ₹4,590 को बैंक खाते में जमा न करना

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 21.6.2013 को दैनिक रोकड़ प्राप्ति रजिस्टर के अनुसार विभिन्न छात्र-छात्राओं से रोबर्स एवं रेन्जर्स निधि के रूप में ₹5,400 वसूले गए। इनमें से मात्र ₹810 को ही सम्बन्धित निधि की रोकड़ बही पर दर्ज करके बैंक खाते में जमा करवाया गया इस प्रकार से $(5400 - 810 = 4590)$ खाते में कम जमा करवाये गए। अतः राशि ₹4,590 की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके रोकड़ में दर्ज करने के पश्चात बैंक खाते में जमा करवाकर अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

8 प्रविवरण पत्र (Prospactus) विक्रय से सम्बन्धित राशि को अलग खाते में रखना

जाँच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश के समय विक्रय किए गए प्रविवरण पत्रों से सम्बन्धित आय/प्राप्ति को अलग खाता खोल कर रखा गया था जबकि नियमानुसार प्रविवरण पत्रों का प्रकाशन मिश्रित निधि खाते से करवाकर इनके विक्रय से सम्बन्धित राशि को इसी खाते में जमा करवाया जाना अपेक्षित था क्योंकि प्रविवरण पत्रों के विक्रय से प्राप्त राशियों का अलग संचालन करने से किसी भी स्तर पर इनका दुरुपयोग हो सकता है। अतः प्रविवरण पत्र खाते (खाता संख्या 5979) में जमा राशि ₹60,987 को शीघ्र महाविद्यालय के मिश्रित निधि खाते में हस्तांतरित करके भविष्य में नियमानुसार इनका प्रकाशन करवाया जाए तथा इनकी बिक्री से प्राप्त राशि को मिश्रित निधि खाते में जमा करवाया जाए।

9 भूगोल शास्त्र कम्प्यूटर निधि

आहरण एवं वितरण अधिकारी की स्वीकृति के बिना भुगतान करना

₹20,000 का भुगतान मै० एच०पी०स्टेट इलैट्रॉनिक्स कार्पोरेशन शिमला को बिल/Invoice नम्बर 25966, 25.915 व 25426 दिनांक 11.8.2011, 1.8.2011 व 24.6.2011 द्वारा कम्प्यूटर इत्यादि की आपूर्ति की पार्ट Payment के रूप में किया गया।

जाँच के दौरान पाया गया कि न तो उपरोक्त वर्णित भुगतान को करने से पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा बिलों को भुगतान हेतु पारित किया गया न ही उपरोक्त वर्णित बिलों

द्वारा क्रय किए गए कंप्यूटरों इत्यादि की महाविद्यालय से प्राप्ति पर किसी समिति द्वारा जाँच की गई। अतः उपरोक्त वर्णित आपत्तियों के निपटारे हेतु शीघ्र कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा कार्रवाई उपरान्त अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 रोवर्स एवं रेन्जर्स निधि

बस किराये में 50% रियायत न लेने के कारण ₹2100 का अधिक भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ₹4200 का भुगतान 6 विद्यार्थियों के किराये के रूप में शिलाई से शिमला तथा वापसी की यात्रा हेतु किया गया। नियमानुसार यह यात्राएं हिमाचल पथ परिवहन निगम से 50% किराये की रियायत लेकर की जानी अपेक्षित थी जबकि नियमों की अवहेलना करके एक निजी बस में पूरे किराये के साथ उपरोक्त यात्रा कर ली गई, इस प्रकार $(4200 - 2100 = 2100)$ का अधिक भुगतान किराये के रूप में कर दिया गया जिसका कारण स्पष्ट किया जाए तथा प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके खाते में जमा करवाकर अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

11 परिसर विकास निधि (Campus Development)

वाऊचर संख्या: शून्य, दिनांक 8/2014, ₹5,410

₹5,410 का भुगतान मैसर्स शर्मा वैल्विंग वर्क्स शिलाई (हिमाचल प्रदेश) को बिल संख्या: 182, दिनांक 25.6.2014 की एवज़ में पानी की टंकियों के स्टैंड इत्यादि (84 कि० @ 64/-) की आपूर्ति हेतु किया गया। नियमानुसार यह व्यय निविदाएँ इत्यादि आमन्त्रित करके न्यूनतम दर निर्धारण उपरान्त किया जाना अपेक्षित था, ताकि बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सके परन्तु महाविद्यालय प्रशासन द्वारा नियमों की अवहेलना करके खुले बाजार से एक ही आपूर्तिकर्ता से क्रय किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इसे नियमित करवाया जाए।

12 जुर्माना निधि

(क) फीस Management Software की आपूर्ति हेतु किया गया ₹7,500 का अनियमित भुगतान

₹7,500 का भुगतान प्रधानाचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) को Free Management Software की आपूर्ति करने के एवज़ में दिनांक 28.5.2011 को किया गया उपरोक्त वर्णित भुगतान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय Ordinance के अनुसार जुर्माना निधि खाते पर वैध प्रभार नहीं है। अतः इस अनियमित भुगतान की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर

स्वीकृति प्राप्त करके इसे नियमित करवाया जाए अन्यथा ₹7,500 की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके खाते में जमा करवाकर अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(ख) मानदेय राशि ₹500 का अनियमित भुगतान

जाँच के दौरान पाया गया कि ₹500 का भुगतान जुर्माना निधि खाते में से श्री दिया राम (लिपिक) को वर्ष 2011-12 के जुर्माने की गणना करने के एवज़ में मानदेय के रूप में किया गया। नियमानुसार जुर्माने की गणना करने हेतु किया गया उपरोक्त भुगतान इस निधि के खाते पर वैध प्रभार नहीं है। अतः अनियमित रूप से जुर्माना निधि खाते में से मानदेय का भुगतान करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा ₹500 की प्रतिपूर्ति उक्त कर्मचारी से करके वापिस खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 खेलकूद निधि

(क) पुस्तकों इत्यादि के क्रय हेतु किया गया ₹3,309 का अनियमित व्यय

₹3,309 (2927 + 382) का भुगतान मैसर्स पंजाब बुक सैन्टर चण्डीगढ़ को उनके बिल संख्या: 5173 व 5174, दिनांक 17.2.2014 की एवज़ में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में दिये जाने वाले पुरस्कारों हेतु पुस्तकों की आपूर्ति के लिए किया गया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यदेश के नियम 42.2 के अनुसार खेलकूद निधि खाते में से खेलकूद से सम्बन्धित सामान तथा गतिविधियों हेतु व्यय किया जा सकता है इस प्रकार पुरस्कारों के लिए पुस्तकें खरीदने पर किया गया यह व्यय इस निधि पर वैध प्रभार नहीं है। अतः इस अनियमित व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके इसे नियमित करवाया जाए अन्यथा ₹3,309 की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) वाऊचर संख्या: 16, दिनांक 10/2014, ₹49,082

₹49,082 का भुगतान मैसर्स दत्ता स्पोर्ट्स मिडल बाजार शिमला को बिल संख्या: 865, दिनांक 29.9.2014 की एवज़ में खेलों से सम्बन्धित सामान की आपूर्ति हेतु किया गया। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि न तो उपरोक्त वर्णित बिल द्वारा क्रय सामान की वास्तविक प्राप्ति की जाँच किसी समिति द्वारा की गई है न ही क्रय किए गए सामान की प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर पर की गई हैं जिसके परिणामस्वरूप क्रय किए गए सामान की निम्न गुणवत्ता तथा दुरुपयोग की स्थिति को नकारा नहीं जा सकता है। अतः समिति का गठन करके क्रय किए गए सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना करवाकर जाँच रिपोर्ट तथा स्टॉक इन्द्राज नियमानुसार करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 मिश्रित निधि

वारुचर संख्या: 471, दिनांक 3/2014, ₹6,965

₹6,965 का भुगतान मैसर्ज मामा भान्जा ट्रांसपोर्ट कम्पनी शिलाई को उनके बिल संख्या: 4, 5, 6 दिनांक शून्य (वाहन संख्या: HP-17B-2323) द्वारा महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन में कार्यालय से सम्बन्धित तथा अन्य सामान को स्थानान्तरित करने की एवज़ में किराये के रूप में किया गया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश की धारा 42.2 के अनुसार उपरोक्त उद्देश्य हेतु किया गया भुगतान मिश्रित निधि खाते पर वैध प्रभार नहीं है। अतः इस अनियमित व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके इसे नियमित करवाया जाए अन्यथा ₹6,965 की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके खाते में जमा करवाकर अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

15 अन्य

(1) अभिलेख प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण अवधि के दौरान मिश्रित निधि तथा खेलकूद निधि से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्ट्रों को जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं करवाया गया जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त वर्णित निधियों के खातों में से अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टर में ईन्द्राज की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त वर्णित निधियों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्ट्रों को आगामी अंकेक्षण पर जाँच हेतु प्रस्तुत करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए सामान के ईन्द्राज की पुष्टि करवाई जाए।

(2) स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाया जाना

जाँच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में विभिन्न निधियों के स्टॉक में रखे सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification) नहीं करवाया गया। जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त अधिनियम की धारा 15:17 के अन्तर्गत स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित है। अतः नियमों के अनुसार प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 लघु आपत्ति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई है।

13 निष्कर्ष :- लेखाओं के रखरखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(xi)(x)147 / 2015-खण्ड-1-6817-6818दिनांक:19.06.2015
शिमला-09

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक, शिक्षा विभाग (उच्चतर शिक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001

2. उप-निदेशक, शिक्षा विभाग (उच्चतर शिक्षा), सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

पंजीकृत 3. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009